न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 20/2020
CCMS NO. : 2020/00078

–:: वादीगण :– बनाम –:: प्रतिवादीगण :–

1. देवा पुत्र गोपा
2. भीया पुत्र गोपा
3. मंगला पुत्र माना फौत के का०कु०
   3/1. रूपली पत्नी मंगला
   3/2. बाबूलाल पुत्र मंगला
   3/3. ओमप्रकाश पुत्र मंगला
   जातिगण– माली, निवासीगण– आकोदिया, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।
   3/4. लीला पुत्री मंगला पत्नी सम्पतराज जाति– माली, निवासी– आकोदिया, हाल निवासी– पुलिस जाने के सामने, आ०कालू तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।

1. सोहन पुत्र जस्सा
2. देवा पुत्र माना
3. करणा पुत्र गोपा
4. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा आ०कालू, तहसील– जैतारण।
5. शाखा प्रबन्धक, आईसीआईसीआई बैंक शाखा जैतारण
6. शाखा प्रबन्धक, एसबीआई शाखा आ०कालू तहसील– जैतारण
7. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी, जैतारण, जिला– पाली राज०

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.28.05.2020

उपस्थितः– 1. श्री तुलसाराम माली, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री देवाराम कटारिया, श्री महेन्द्र प्रजापत बलून्दा, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनाँकः– 29/06/2022

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा आकोदिया पटवार हल्का फालका भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ०कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज० में खसरा नम्बर 135 रकबा 1-00 बीघा कि[illegible] मु० बेरा, ख०नं० 136 रकबा 117-04 बीघा किस्म बारानी [illegible] कुल रकबा 118-04 बीघा आई हुई है। जिसमे वादीगण संख्या [illegible] प्रतिवादीगण संख्या [illegible] का 1/3 हिस्सा व वादीगण संख्या 3 व प्रतिवादीगण संख्या 2 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/3 हिस्सा आता है, जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा राजस्व रेकर्ड मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला–पाली

मर्ज हक हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी रोकटोक के काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 2076 एवं नक्शा देश की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ संलग्न है। जिसको बादपत्र का एक भाग माना जाये। वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण पिछले 50 वर्षों से काबिज होकर अपने अपने हक हिस्से व आपसी सहमति से काश्त करते आ रहे है जिसके वर्तमान मौके का नजरी नक्शा वादपत्र के साथ संलग्न है। जिसमे वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 के 1/3 हिस्से को पीले रंग से व वादीगण संख्या 3 व प्रतिवादीगण संख्या 2 के 1/3 हिस्से को हरे रंग से एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के 1/3 हिस्से को लाल रंग से दर्शाया गया है। इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज है। उक्त नजरी नक्शे को वादपत्र का एक भाग माना जावे। वादपत्र के पद संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि है तथा बाई मिट एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नहीं हो रखा है तथा वादीगण में प्रतिवादीगण को वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार कानूनी बंटवाडा करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 से मना कर दिया एवं बिना कानूनी कानूनी बंटवाडा करवाये ही उक्त संयुक्त सामलाती कृषि भूमि पर नीचे खोदकर पक्का निर्माण कृषि भूमि को अकृषि कार्य में रूपान्तरणकरण करवाये बिना ही कर रहा है जो कि गैरकानूनी है तथा वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने से तथा अपने एक हिस्से में बंट की कृषि भूमि के चारों तरफ खाई व खन्दक लगाकर उपयोग उपयोग करते आ रहे है जिसका नजरी नक्शे मे अनुसार कानूनी बंटवाडा करवाने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत बंटवाडा का श्रीमान के समझ सादर प्रस्तुत किया जा रहा है। दिनांक 25/05/2020 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 को पक्का निर्माण कार्य करने से मना किया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 नहीं माना एवं वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि मै कृषि भूमि को अकृषि कार्य में रूपान्तरणकरण करवाये बिना एवं बंटवाडा करवाये बिना ही उक्त कृषि भूमि मे पक्का निर्माण करके रहुगां तथा कुऐं से हिस्से अनुसार पानी भी नहीं लेने दुगां एवं तुम्हे अपने साम्पतिक अधिकारो से महरूम करके रहुगां, वादीगण को अपने साम्पतिक अधिकारों की रक्षा के लिये विभिन्न प्रकार के दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे करने पडेगे जिससे वादीगण जेर बार हो जायेगे यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 अपने नापाक इरादो में सफल हो जाते है, तो वादीगण को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही होगी एवं विविध प्रकार की पेचीदगिया बढेगी। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या1 द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कृत्य को रोके जाने बाबत् वादीगण के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही होने से यह वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 4, 5 व 6 के यहां उक्त कृषि भूमि रहन होने से उक्त प्रतिवादीगण पक्षकार समायोजित [illegible] गया है । उनसे किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा गया है। प्रतिवादीगण [illegible] 7 भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से एवं बंटवाडे वादपत्र मे आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 25/05/2020 को वादी[illegible] द्वारा प्रतिवादीगण को नजरी नक्शे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

के अनुसार कानूनी बंटवाड़ा के का कहने एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा किये जा रहे पक्के निर्माण कार्य करने से मना करने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा नहीं मानने पर एवं लिलामिया धमकी देने पर बमुकाम ग्राम आकोदिया तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से यह वादपत्र अन्दर मियाद श्रीमान के समक्ष सादर पेश है।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल है। वकील प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा पेश हुआ जो शामिल मिसल है। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी अपनी सहमति प्रदान करते हुए माफिक राजस्व रेकर्ड एवं राजीनामा मय नजरी नक्शा बंटवाड़ा करने का निवेदन किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात, राजीनामा मय नजरी नक्शा इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा आकोदिया पटवार हल्का फालका भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 सम्वत् 2072-2075 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 135 रकबा 1-00 बीघा किस्म गै0 मु0 बेरा, ख0नं0 136 रकबा 117-04 बीघा किस्म बारानी अव्वल में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाड़ा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा आकोदिया पटवार हल्का फालका भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा नम्बर 135 रकबा 1-00 बीघा किस्म गै0 मु0 बेरा, ख0नं0 136 रकबा 117-04 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 02 कुल रकबा 118-04 बीघा भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/1112 दिनांक 08.12.2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/22/2362 दिनांक 13/04/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:27 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस [illegible] वकील उभयपक्ष ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय

उपखण्ड अधिकारी एवं
[illegible] सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा आकोदिया पटवार हल्का फालका भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा नम्बर 135 रकबा 1–00 बीघा किस्म गै0 मु0 बेरा, ख0नं0 136 रकबा 117–04 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 02 कुल रकबा 118–04 बीघा का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता हैः–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	सोहन पुत्र जस्सा कौम– माली सा0 देह खातेदार, रहन– एसबीआई शाखा आ0कालू	136	6.1488	बा. अ.	3.81
2.	देवा पुत्र माना हि0 1/2 रहन– ICICI बैंक जैतारण, मंगला पुत्र माना के का0मु0 रूपली पत्नी मंगला, बाबूलाल, ओमप्रकाश पि0 मंगला, लीला पुत्री मंगला हि. 1/2 रहन RMGB आ0कालू	136/2	3.8419	बा. अ.	-
		136/6	2.3067	बा. अ.	
		2	6.1486		3.81
3.	सोहन पुत्र जसा हि. 1/3, देवा पुत्र माना हि. 1/6, मंगला पुत्र माना के का0मु0 रूपली पत्नी मंगला, बाबूलाल, ओमप्रकाश पि0 मंगला, लीला पुत्री मंगला हि. 1/6 रहन– RMGB आ0कालू, भींया, देवा, करणा पि0 गोपा हि. 1/3 कौम– माली सा. देह खातेदार रहन सोहन का हि. एसबीआई शाखा आ0कालू, देवा पुत्र माना का हि. रहन– ICICI बैंक जैतारण, करणा व भींया का हि. रहन RMGB आ0कालू	135	0.1619	गै0मु0 बेरा	
		136/1	0.3561	गै0मु0 रास्ता	
		136/4	0.0405	बा. अ.	
		136/5	0.1290	गै0मु0 रास्ता	
		4	0.6875		0.33

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:27 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 29/06/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:– जैतारण
बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–:: वादीगण :–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण :–
1. देवा पुत्र गोपा 2. भीया पुत्र गोपा 3. मंगला पुत्र माना फौत के का0मु0 3/1. रूपली पत्नी मंगला 3/2. बाबूलाल पुत्र मंगला 3/3. ओमप्रकाश पुत्र मंगला जातिगण– माली, निवासीगण– आकोदिया, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0। 3/4. लीला पुत्री मंगला पत्नी सम्पतराज जाति– माली, निवासी– आकोदिया, हाल निवासी– पुलिस जाने के सामने, आ0कालू तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।		1. सोहन पुत्र जस्सा 2. देवा पुत्र माना 3. करणा पुत्र गोपा 4. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा आ0कालू, तहसील– जैतारण। 5. शाखा प्रबन्धक, आईसीआईसीआई बैंक शाखा जैतारण 6. शाखा प्रबन्धक, एसबीआई शाखा आ0कालू तहसील– जैतारण 7. तहसीलदार एवं उपपंजियक अधिकारी, जैतारण, जिला– पाली राज0

<u>राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु0न0 :रा0वा0 स0:– 20/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री तुलसा माली, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई तथा श्री देवाराम कटारिया, श्री महेन्द्र प्रजापत बलुन्दा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा आकोदिया पटवार हल्का फालका भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा नम्बर 135 रकबा 1–00 बीघा किस्म गै0 [illegible] खसरा नं0 136 रकबा 117–04 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 02 व रकबा 118–04 बीघा का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:27 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टेयर	किस्म	लगान
1.	सोहन पुत्र जस्सा कौम– माली सा0 देह खातेदार, रहन– एसबीआई शाखा आ0कालू	136	6.1488	बा. अ.	3.81

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, [illegible] जिला-पाली

2.	देवा पुत्र माना हि० 1/2 रहन- ICICI बैंक जैतारण, मंगला पुत्र माना के का०मु० रूपली पत्नी मंगला, बाबूलाल, ओमप्रकाश पि० मंगला, लीला पुत्री मंगला हि. 1/2 रहन RMGB आ०कालू	136/2	3.8419	बा. अ.	-
		136/6	2.3067	बा. अ.	
		2	6.1486		3.81
3.	सोहन पुत्र जसा हि. 1/3, देवा पुत्र माना हि. 1/6, मंगला पुत्र माना के का०मु० रूपली पत्नी मंगला, बाबूलाल, ओमप्रकाश पि० मंगला, लीला पुत्री मंगला हि. 1/6 रहन- RMGB आ०कालू, भींया, देवा, करणा पि० गोपा हि. 1/3 कौम- माली सा. देह खातेदार रहन सोहन का हि. एसबीआई शाखा आ०कालू, देवा पुत्र माना का हि. रहन- ICICI बैंक जैतारण, करणा व भींया का हि. रहन RMGB आ०कालू	135	0.1619	गै०मु० बेरा	
		136/1	0.3561	गै०मु० रास्ता	
		136/4	0.0405	बा. अ.	
		136/5	0.1290	गै०मु० रास्ता	
		4	0.6875		0.33

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवारा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/06/2022 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण जिला-ब्यावर/पाली

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	07–00	स्टाम्प वकालतनामा	03–00
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	02–00	महनताना वकील	
महनताना वकील	–	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	/
फीस कमीश्नर	05–00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजान:-	15–00	मिजान:-	03–00

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:27 IST
Reason: SelfAttested